□□□□ □□□□□
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

□□□ □□□
अतारांकित प्रश्न □ख्□□: 5549
26 □□□□, 2019 □□ □□□□□□□□□□प्रश्□ □□ □त्त□

□□□□□

5549. श्री□ □□□□□□□□ □□□□□

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने को कृपा करगे किः

(क) क्या सरकार ने अंग दान और प्रतिरोपण को विनियमित करने वाले मानव अंग प्रतिरोपण अधिनियम, 1994 को पारित किया है जिसम ब्रेन डेड घोषित व्यक्तियों से संबंधित मानव अंगदान शामिल है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को आर्थिक लाभ हेतु मानव अंगों को बिक्री के संबंध म भारत के नागरिकों से कोई सूचना या शिकायत प्राप्त हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार के पास किसी भी बिचैलिए को भागीदारी के बिना मानव अंगों के प्रतिरोपण को सुविध के लिए राष्ट्रीय मानव अंगदान बक स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध म नागरिकों, विशेषरूप से गरीब लोगों म जागरूकता पैदा करने के लिए योजना को लोकप्रिय बनाने के लिए आगे क्या कदम उठाए गए ह?

□त्त□

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य □त्री□ (श्री□ □श्वि□□ □□□□ □□□)□

(क): जी हां। भारत सरकार ने मानव अंग और ऊतक प्रत्यारोपण अधिनियम (टीएचओटीए), 1994 को अधिनियमित किया और चिकित्सीय उद्देश्यों के लिए मानव अंगों और ऊतकों के निष्कासन, भंडारण और प्रत्यारोपण के नियमन के लिए इसके अंतगत नियम बनाए।

(ख) से (ग): मानव अंग व्यापर को कुछ घटनाएं शिकायत/मीडिया रिपोर्टों के माध्यम से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के नोटिस म आई ह। मानव अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण अधिनियम (थोटा), 1994 के तहत इस अधिनियम और इसके तहत निर्मित नियमावली के प्रावधानों के किसी भी प्रकार के उल्लंघन को शिकायत को जांच पड़ताल और उपयुक्त कारवाई करने के लिए राज्य स्तरीय उपयुक्त प्राधिकारी होता है। तदनुसार इन मामलों को इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार जांच पड़ताल और उपयुक्त कारवाई करने के लिए संबंधित

राज्य सरकार को प्रेषित किया जाता है। इसके अलावा ऐसे मामलों का विवरण स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा नहों रखा जाता है।

(घ): हासिल किए जाने के तुरंत पश्चात प्रत्यारोपण किए जाने को आवश्यकता के लिए हृदय, किडनी आदि अंगों के लिए राष्ट्रीय मानव अंगदान बक स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहों है। तथापि, राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन (नोट्टो) म ऊतक भंडारण के लिए राष्ट्रीय स्तरीय ऊतक बक (जैव-सामग्री कद्र) को सुविधा है। क्षेत्रीय अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन (रोट्टो), चैन्नै, तमिलनाडु म एक क्षेत्रीय जैव-सामग्री कद्र को स्थापना भी को गई है।

(ङ): 'राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन (एनओटीटीओ)', 'क्षेत्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन (आरओटीटीओ)' तथा 'राज्य अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन (एसओटीटीओ)' लोगों को अंग-दान के बारे म संगत जानकारी उपलब्ध कराते ह। एक टोल फ्री हेल्पलाइन नं. (1800114770) के साथ एक 24x7 कॉल सेन्टर को कायशील बनाया गया है। जागरुकता का सृजन करने तथा डॉक्टरों और प्रत्यारोपण समन्वयकताओं सहित प्रत्यारोपण क्रियाकलापों से संबद्ध सभी व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने के लिए प्रत्येक वष भारतीय अंग दान दिवस, सेमिनारों, कायशालाओं, डिबेटों, खेलकूद समारोहों, वॉकाथनों, मेराथनों म भाग लेने, नुक्कड़ नाटक इत्यादि जैसे अनेक क्रियाकलापों का देश के विभिन्न भागों म आयोजन किया जाता है। शव के अंगदान को बढ़ावा देने के लिए दूरदशन और दूरदशन के दूसरे चैनलों पर दृश्य-श्रृव्य सन्देश भी प्रसारित किए जाते ह।

******